विवरणिका

सत्र 2023–24

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

नैक द्वारा मूल्याकंन (प्रत्यायन) श्रेणी - "A"

स्थापना वर्ष -1964

शासन द्वारा स्थापित, शासन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वशासी घोषित,
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उत्कृष्ट महाविद्यालय

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Website URL: https://ggpgcs.com/

Email Add.:heggpgcsag@mp.gov.in

प्राचार्य की कलम से

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर की स्थापना 1964 में नगर पालिका सागर द्वारा की गई थी। 1 जुलाई 1978 में म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस महाविद्यालय को शासनाधीन किया गया। 1984 में इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2f में और 1991 में 12b में पंजीकृत किया। 2002 में म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसे उत्कृष्टता (Excellence) का दर्जा दिया गया और 2003 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे स्वशासी का दर्जा दिया गया।

1964 से 2009 तक इस महाविद्यालय की संबद्धता डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से थी और वर्तमान में महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर से इसकी सम्बद्धता है।

वर्तमान में महाविद्यालय में स्नातक स्तर के सात और स्नातकोत्तर के 5 प्रोग्राम संचालित है। महाविद्यालय में छात्राओं से सर्वांगीण विकास हेतु क्रीड़ा विभाग, एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं एक उत्कृष्ट ग्रन्थालय संचालित है। एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं खेलकूद की गतिविधियों में छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय पदक भी प्राप्त किये हैं। दूरस्थ क्षेत्र की छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा भी करता था। महाविद्यालय में म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त सभी छात्रवृत्तियों का लाभ पात्र छात्राओं को दिया जाता है।

महिला शिक्षा के माध्यम से छात्राओं को समान अवसर प्रदान कर सशक्त कर बेहतर समाज का निर्माण एवं विकसित राष्ट्र की संकल्पना हमारा लक्ष्य है। इस हेतु शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण भी महाविद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क दिया जाता है। छात्राओं की शोध प्रगति के लिये दस विषयों में शोध केन्द्र हैं जिसमें शोध कार्य कर छात्राएँ अकादमिक क्षेत्र में ऊँची उड़ान भर सकती हैं।

डॉ. आनंद तिवारी

प्राचार्य

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृ.सं.
1.	महाविद्यालय - परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	07
2.	उत्कृष्टता संस्थान के रूप में चयनित महाविद्यालय	07
3.	स्वशासी दर्जा प्राप्त महाविद्यालय	07
4.	स्वशासी एवं उत्कृष्टता : अवधारणा, लक्ष्य एवं उद्देश्य	08
5.	विद्यार्थी नियमावली	09
6.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु एवं नवाचार	11
7.	अकादमिक संरचना : विस्तृत विवरण	12
8.	स्नातक स्तर पर मूल्यांकन पद्धति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)	17
9.	स्नातक स्तर पर रोजगार मूलक विषय	20
10.	छात्रवृत्ति पात्रता एवं स्वीकृति प्रक्रिया	22
11.	शैक्षणिक गतिविधियाँ	28
12.	प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी की सूची	30
13.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची	31

महाविद्यालय :- परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सागर नगर के गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि उच्च शिक्षा की दिशा व दशा में परिवर्तन हेतु सार्थक प्रयास 1946 से प्रारम्भ हो चुका था, जब डॉ. हरीसिंह गौर द्वारा अपनी समूची सम्पत्ति को दान स्वरूप देकर देश का सर्वोच्च प्रतिष्ठित तथा प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सागर नगर के विस्तृत क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए बहुप्रतीक्षित महिला महाविद्यालय की माँग तथा आवश्यकता को वर्ष 1965 में इस महाविद्यालय को नगरपालिका निकाय द्वारा अधिगृहीत किया गया। वर्ष 1978 में उच्च शिक्षा विभाग म. प्र. शासन द्वारा इस महाविद्यालय को अपने अधीन अधिग्रहण किया गया। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-03 में इस महाविद्यालय को सागर सम्भाग के एकमात्र महाविद्यालय के रूप उत्कृष्ट संस्थान के रूप में चयनित किया गया तथा शैक्षणिक निष्पादन गुणवत्ता तथा अधोसंरचनात्मक संसाधानों जैसे मापदण्डों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संस्थान को वर्ष 2003-04 से स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। महाविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, शोध कार्य, शोध परियोजनाओं तथा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के आधार वर्ष 2014 में नेट द्वारा इस महाविद्यालय की ग्रेड 'ए' की श्रेणी प्रदान की गई साथ ही वर्ष 2019 में विशविद्यालय अनुदान आयोग रिव्यू समिति द्वारा स्वशासी परीक्षा मूल्याकंन शिक्षण प्रतिपुष्टि तथा शैक्षणिक गतिविधियों हेतु वर्ष 2024 तक स्वायत्तता प्रदाय की गई है।

इस महाविद्यालय में वर्तमान में 12000 छात्रायें अध्ययनरत हैं। स्नातक स्तर पर 23 पाठ्यक्र, स्नातकोत्तर स्तर पर 14 पाठ्यक्रम तथा वित्तीय आधार पर 11 पाठ्यक्रम संचालित हैं। कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय तथा गृह विज्ञान संकाय के साथ-साथ महाविद्यालय में बी.बी.ए., बी.सी.ए. माइक्रो बॉयोलाजी, बॉयोटेकनालॉजी, इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री जैसे पेशेवर तथा रोजगार मूलक पाठ्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2015 तक महाविद्यालय डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से सम्बद्ध रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर से सम्बद्ध है। संख्यात्मक दृष्टि से यह महाविद्यालय प्रदेश के दूसरे स्थान का महाविद्यालय है। जिसने प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में अपनी विशिष्टि पहचान अंकित की है।

उत्कृष्टता संस्थान के रूप में चयनित महाविद्यालय

शैक्षणिक सत्र 2002-03 में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्रत्येक संभाग में एक महाविद्यालय, दो उत्कृष्ट महाविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। शैक्षणिक स्टॉफ की संख्यात्मक स्थिति, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, प्रवेशार्थियों की संख्या, शिक्षक-छात्र अनुपात तथा शैक्षणिक निष्पादन जैसे मानक बिन्दुओं के आधार पर समूचे संभाग में एकमात्र कन्या महाविद्यालय के रूप में इस महाविद्यालय को उत्कृष्टता संस्थान के रूप में चयनित किया गया। शैक्षणिक संस्थान के रूप में यह महाविद्यालय न केवल संख्यात्मक दृष्टि से अपितु गुणात्मक दृष्टि से प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय मूल्याकंन तथा प्रत्यायन परिषद (नेट) द्वारा वर्ष 2014 में इस महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा शैक्षणोत्तर क्रियाकलापों, शैक्षणिक मानकता, शैक्षणिक स्टॉफ की अर्हताओं, शैक्षणिक विस्तार कार्यकलापों, शोध अनुसंधान, छात्रावास व्यवस्था, कैंटीन, पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा विभाग, एन. सी. सी., एन. एस. एस. आदि मानकों के आधार पर 'ए' ग्रेड का दर्जा दिया गया है जो कि निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तथा विश्व बैंक के अंतर्गत इस महाविद्यालय को चयनित किया गया है जिसके अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु भवन, प्रयोगशाला, रेमेडियल क्लासेज तथा पुस्तकालय हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस महाविद्यालय ने संख्यात्मक तथा गुणात्मक दृष्टि से राज्य के मानचित्र में अपनी विशिष्ट पहचान अंकित कर ली है।

स्वशासी महाविद्यालय दर्जा प्राप्त महाविद्यालय

महाविद्यालय की अधोसंरचनात्मक संसाधनों, शैक्षणिक स्टॉफ की संख्या तथा योग्यता, पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा

सुविधाओं, शैक्षणिक गतिविधियों तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलाप, महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम, छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षण पद्धति, परीक्षा पद्धति, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक विकास के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., छात्रावास तथा कैन्टीन सुविधाओं परीक्षा परिणामों तथा शैक्षणिक निष्पादन आदि मानकों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2003-04 में इस महाविद्यालय को स्वशासी दर्जा दिया गया जिसके अंतर्गत शैक्षणिक, प्रबंधकीय तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। विद्यार्थियों को वस्तुपरक तथा शोधपरक ज्ञान है साथ ही उनमें विश्लेषणात्मक तार्किक ज्ञान के साथ-साथ प्रौद्योगिकी ज्ञान भी इन्हीं उद्देश्यां को लेकर महाविद्यालय में स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कतिपय रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है तथा मेधावी छात्राओं को गोल्ड मेडल भी वितरण किया जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 2019 में ऑटोनमी रिव्यू समिति द्वारा स्वशासी कार्यों के निष्पादन से संतुष्ट होकर वर्ष 2024 तक ऑटोनॉमी एक्सटेन्शन दिया गया है।

स्वशासी एवं उत्कृष्टता की अवधारणा, लक्ष्य एवं उद्देश्य

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता का प्राथमिक लक्ष्य प्रतिभावान छात्राओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने हतु सुविधायें उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति उक्त संस्थान को परम्परागत प्रशासनिक ढाँचे से अलग रखते हुए, उसे अकादमिक, प्रबंधन एवं वित्तीय मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गयी है। इस संस्थान की स्थापना की मूल अवधारणा यह है कि जीवन के सभी क्षेत्र में सफलता हेतु श्रेष्ठ शिक्षा अनिवार्य है। वर्तमान सन्दर्भों में श्रेष्ठ शिक्षा का आशय एक विद्यार्थी को अध्ययनरत विषय का गहन एवं विस्तृत ज्ञान के साथ तार्किक ज्ञान एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का समुचित विकास कराना है। नवाचार की दृष्टि से पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना, प्रश्नपत्रों के स्वरूप को निर्धारित करना, सतत मूल्याकंन पद्धति, शिक्षक अभिभावक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं महाविद्यालय के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। स्वशासी तथा उत्कृष्टता सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त सभी स्नातक स्तर व स्नातकोत्तर स्तर पर लागू होंगे।

महाविद्यालय के उद्देश्य -

- परिमाणात्मक शिक्षा के साथ-साथ गुणात्मक शिक्षा का विकास।
- समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु युवा पीढ़ी को गुणात्मक शिक्षा एवं शोध के अवसर प्रदान करना। विविध क्षेत्रों के आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु युवा वर्ग को जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना।
- व्यावसायिक एवं उद्यमी समाज के परिदृश्य के अनुरूप आवश्यक सभी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी के कौशल को तराशना, दक्षतायें प्रदान करना।
- युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास का संचार, व्यक्तित्व विकास, अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों, समानता की भावना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना प्रस्फुटित करने हेतु वातावरण प्रदान करना।
- ज्ञानपूर्ण और कल्याणकारी समाज के सतत् उन्नयन के लिये शिक्षा के सदुपयोग से मुख्य भूमिका का निर्वहन करना। समाज में नारीशिक्षा को प्रोत्साहन देकर महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ता प्रदान करना।
- सफल परिवार से बेहतर समाज का निर्माण करना।

महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों की दिशा, विद्यार्थियों को समाज के नवनिर्माण, समानता के अधिकार एवं गरिमामय व्यक्तित्व की सीख देने की ओर से केन्द्रित होगी ताकि समुचित शिक्षा के आलोक से विद्यार्थी सुसंस्कृत उत्तरदायी संवेदनशील व्यक्ति तथा देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें।

<u>आचार संहिता</u> (आचरण संहिता)

1. प्रत्येक विद्यार्थी-प्राचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों और अपने सहपाठियों से शालीन एवं विनम्र व्यवहार करेंगे।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत अपने विद्या अध्ययन में लगायेंगे साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित/अनुमोदित गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में पूर्णतः सहयोग करेंगे।

3. कक्षाओं में अध्यापन के दौरान मोबाइल को बंद रखें परीक्षाओं के दौरान मोबाइल लेकर महाविद्यालय में प्रदेश करना, उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है।
4. महाविद्यालय अर्थात् भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता बनाये रखने में प्रत्येक छात्रा रूचि लेंगी। महाविद्यालय की सम्पत्ति अर्थात् भवन साज-सज्जा विद्युत व्यवस्था, उपकरण आदि को किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुँचायेगी।
5. विद्यार्थी अपनी कठिनाई के लिये हिंसा, आन्दोलन या अतिवाद का मार्ग नहीं अपनायेंगे।
6. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियाँ संचालित करना पूर्णतः वर्जित है।
7. विद्यार्थी को यदि कठिनाई हो तो वे प्राध्यापकों अथवा अति आवश्यक होने पर प्राचार्य के समक्ष पूर्ण अनुशासन से शांतिपूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/शिकायत पेटी के माध्यम से अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक-अभिभावक से सम्पर्क करें किन्तु बाहरी तत्वों, समाचार पत्रों को माध्यम न बनायें।
8. विद्यार्थी को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
9. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या करने का प्रयास करना या सहायक होना दुराचरण माना जायेगा एवं उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
10. महाविद्यालय एवं छात्रवास की सीमाओं में मोबाइल रखना, धूम्रपान, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।

महत्वपूर्ण (विशेष) : उपस्थिति

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

रैगिंग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरुद्ध महाविद्यालय प्राचार्यों की परिषद तथा एस. एल. पी. क्रं. 2496-24299/2004 डब्ल्यू. पी. (सी. आर. पी.) नं. 173/2006 तथा एस. एल. पी. क्रं. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैंगिग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरुद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

दण्ड

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध निम्नानुसार दण्ड का प्रावधान है :-

1. कक्षाओं से निलम्बन
2. महाविद्यालय से निष्कासन
3. विश्वविद्यालय/स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

विद्यार्थी नियमावली :-

1. महाविद्यालय में इस सत्र से स्नातक स्तर पर वार्षिक परीक्षा पद्धति तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन एवं परीक्षा कार्य होगा।
2. आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः अध्ययन कर लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।

3. विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखें छात्रवृत्ति/काशन मनी की वापिसी के समय मूल रसीद प्रस्तुत करना होगी।
4. प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियाँ एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूचियाँ तथा प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जावेगा। एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।
5. महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी समस्त नियम एवं सूचनाएँ समय-समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएँगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
6. आवेदन की समस्त पूर्तियाँ की जाना अनिवार्य हैं। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
8. जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देने पर, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों/प्रशासकीय अथवा कार्यालीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
9. प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना, स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (सेमेस्टर पद्धति) में लगातार 15 दिवस तथा अन्य कक्षाओं (वार्षिक पद्धति) में लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
10. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
11. प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय में गणवेश में पहचान पत्र के साथ आना आवश्यक है।
12. कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा।
13. कक्षाओं में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति पूर्ण न होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में स्वाध्यायी के रूप में बैठना होगा।
14. रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रवास से निष्कासन छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।
15. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिये पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। अतः प्रवेश के समय अपना बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का नाम देना अनिवार्य होगा।
16. छात्राओं को अपना मोबाइल नम्बर, एक्टिव एवं व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. महाविद्यालय में दर्ज कराना होगा जिस पर सम्पर्क किया जा सके।
17. छात्राएँ परीक्षा समय सारणी के अनुसार परीक्षा में बैठेगीं उनके अन्य परीक्षा में प्रविष्ट के कारण महाविद्यालय की समय सारणी परिवर्तित नहीं की जायेगी।
18. परीक्षा कक्ष में मोबाइल लाने पर अनुचित साधन का प्रयोग माना जावेगा।
19. छात्राओं द्वारा माँगे गये दस्तावेज संधारित अवधि में ही प्रदाय हो सकेगें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु एवं नवाचार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को उत्कृष्ट बनाना और भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना, भारत की प्राचीन समृद्ध ज्ञान परंपरा से शिक्षा को जोड़ना, मातृभाषा को महत्व देना, विद्यार्थी को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन करना है।

मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है।

मध्यप्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु :-

1. चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम

च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम पर आधारित स्नातक पाठ्यक्रत चार वर्षीय होगा। इस सिस्टम में किसी भी संकाय में प्रवेशित विद्यार्थी को अपने संकाय से एक मुख्य विषय (Major) एक गौण विषय (Minor) एक वैकल्पिक विषय (Open Elective) के साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही फील्ड प्रोजेक्ट्स/इंटर्नशिप/शिक्षुता/प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा (Field Projects/internship/apprenticeship/ Community Engagement & Services) का अध्ययन करना होगा।

2. बहुविषयक शिक्षा

वैकल्पिक विषय का चयन करते समय विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने मूल संकाय से अथवा किसी अन्य संकाय से (महाविद्यालय में उपलब्धता के अनुसार) भी अपनी रूचि अनुसार Open Elective Course का चयन कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को अपनी रूचि अनुसार विषय चयन की स्वतंत्रता होगी। उदाहरण के लिये यदि विज्ञान संकाय का विद्यार्थी अपने मुख्य विषय के साथ संगीत या साहित्य विषय का अध्ययन करना चाहता है, तो वह Open Elective यानी वैकल्पिक विषय के अन्तर्गत अपनी अभिरूचि अनुसार विषय का अध्ययन कर सकेगा।

3. बहुआगमन एवं निर्गमन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातक स्तर पर बहुआगमन और निर्गमन का प्रावधान रखा गया है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में रह जाए तो अध्ययन अंतराल के बाद जब वह पुनः अपनी पढ़ाई जारी करेगा तो पूर्व पढ़ाई का लाभ उसे मिल जायेगा। विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम छोड़ने/संस्था परिवर्तित करने/विश्वविद्यालय परिवर्तित करने पर उनके द्वारा तत्समय तक अर्जित क्रेडिट यथावत बने रहेंगे।

स्नातक प्रथम वर्ष में कुल क्रेडिट 40 होंगे। यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष में 40 क्रेडिट अर्जित कर लेते हैं तो उसे सर्टिफिकेट प्राप्त करने की पात्रता होगी। दो वर्षों के अध्ययन के पश्चात 80 क्रेडिट अर्जित करने पर डिप्लोमा तथा तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करने पर डिग्री प्राप्त करने की पात्रता होगी। स्नातक चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी को 160 क्रेडिट प्राप्त होने पर बैचलर विथ रिसर्च/ऑनर्स की पात्रता होगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश तथा प्रत्येक वर्ष में निर्धारित 40 क्रेडिट अर्जित करने के उपरांत विद्यार्थी को प्रस्थान की पात्रता होगी।

अकादमिक संरचना : विस्तृत विवरण

1. मुख्य विषय (Major subject)

विद्यार्थियों को प्रवेशित अपने संकाय से एक मुख्य (Major) विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संकाय के विद्यार्थी के द्वारा लिए गए तीन विषयों में से एक विषय वह मुख्य विषय के रूप में पढ़ेगा। मुख्य विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे। भविष्य में स्नातकोत्तर करने के लिए वह इस मुख्य विषय में पात्र होगा। अतः मुख्य विषय का चयन विद्यार्थी को आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पालक अभिभावक से विचार विमर्श करके ही चयन करना चाहिए।

2. गौण विषय (Minor subject)

विद्यार्थी को प्रवेशित (मूल) संकाय से ही गौण (Major) विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। मुख्य विषय के चयन के पश्चात् शेष दो विषय में से अपनी ही संकाय के एक विषय का चयन गौंण या माइनर विषय के रूप में करना हैं। गौण विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिए संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना होगा।

3. वैकल्पिक विषय (Open Elective subject)

मुख्य एवं गौण चयन के पश्चात अपने संकाय से जो तीसरा विषय शेष बचा है उसे वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करें। वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिए संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना होगा। यदि विद्यार्थी तीसरे विषय के रूप में अपने संकाय का वैकल्पिक विषय नहीं पढ़ना चाहता है तो विद्यार्थी को यह सुविधा दी गई है कि वह अपने संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है।

विद्यार्थी द्वारा चयनित मुख्य या गौण विषय से संबंधित वैकल्पिक विषय को चुनने की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषयों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें से विद्यार्थी अपनी रूचि एवं योग्यता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में भी चयन कर सकता है, यदि प्रवेशित महाविद्यालय में एन.सी.सी., एन. एस.एस. इकाई संचालित हो। कला और वाणिज्य के एकल संकाय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय में विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

सामान्य वैकल्पिक विषय (Generic Elective subject)

कला संकाय

1. कम्प्यूटर फंडामेण्टल
2. मनी एण्ड बैंकिंग
3. राष्ट्रीय सेवा योजना
4. शारीरिक शिक्षा
5. एम.एस. आफिस

विज्ञान संकाय

1. एमएस ऑफिस
2. कम्प्यूटर फंडामेण्टल
3. मध्यप्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय
4. हिन्दी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय
5. भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन
6. राष्ट्रीय सेवा योजना

Academic Structure : UG Program

		Own Faculty		Any Faculty	Skill Enhancement Course	Ablity Enhancement Course	Field projects/Internship/ apprenticeship/community engagement and service	Credits		Qualification title (Credit requirement)
		Subject I	Subject	Subject III						
Eligiblity will have pre-requisites.										
Year		Major	Miner	Elective Course	Vocational Course	Foundation Course	Inter/Intra Faculty related to main Subject	Creadit Distribution	Total Credits per year	
Level 5	1	2 (12 credits) **6 credit each**	1 (06 credits)	1 (06 credits)	(4 credits)	1 (8 credits) **4 credit each**	2 (4 credits)	1 4+8+4	12+6+6	40**(40) Undergraduate Certificate in Faculty**
Level 6	2	2 (12 credits) **6 credit each**	1 (06 credits)	1 (06 credits)	(4 credits)	1 (8 credits) **4 credit each**	2 (4 credits)	1 4+8+4	12+6+6	40**(80) Undergarduate Diploma in Faculty**
Level 7	3	**2** (12 credits) **6 credit each DSE**	**1** (06 credits)	**1** (06 credits)	(4 credits)	**1** (8 credits) **4 credit each**	**2** (4 credits)	1 4+8+4	12+6+6	40**(120) Bachelor in Faculty**
Level 8	4	**2** (12 credits) **6 credit each** **2** (08 Credits) **4 credit each**	**1 Research Methodology** (4 Credits) **1** (4 Credits)	**Credits are goven in (in red)**			**1** (12 credits) (6+6) **Intemship/apprenticeship related to main Subject/ Research Project**	20+4+4+12	40	**(160) Bachelor (Honours/ Research) in Faculty**
Total		56 Credits	26Credits	**18 Credits**	12 Credits	**24 Credits**	24 Credits		**160 Credits**	

7. शारीरिक शिक्षा

बीबीए/बीकॉम

1. शारीरिक शिक्षा

नोट : उपरोक्त पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 के लिए लागू होंगे।

वैकल्पिक विषय का चयन				
आवंटित संकाय	**आवंटित समूह**	**मुख्य**	**गौण**	**वैकल्पिक**
विज्ञान	गणित/बायो समूह	गणित/बायो समूह	गणित/बायोसमूह	गणित/बायो समूह के अथवा सामान्य वैकल्पिक वाणिज्य/कला/अन्य
वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य के 8 वैकल्पिक अथवा सामान्य वैकल्पिक कला/अन्य/विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित है तो)
कला	कला	विषय - 1	विषय - 2	कला संकाय से वैकल्पिक विषय अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / अन्य / विज्ञान यदि महाविद्यालय में विज्ञान संकाय संचालित हो तो

आवंटित संकाय	**आवंटित समूह**	**मुख्य**	**गौण**	**वैकल्पिक विषय**	**रिमार्क**
विज्ञान	भौतिक रसायन गणित	भौतिकी	रसायन	गणित अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य/कला/अन्य	विज्ञान विषय का ओपन इलेक्टिव नहीं लेना है।
विज्ञान	भौतिक रसायन कम्प्यूटर साईंस	भौतिकी	रसायन	कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सामान्य वैकल्पिक- वाणिज्य/ कला/ अन्य	कम्प्यूटर विषय का ओपन इलेक्टिव नहीं लेना है
रसायन	रसायन	मुख्य 1 और 2 (अनिवार्य)	गौण (अनिवार्य)	वाणिज्य के 8 वैकल्पिक अथवा सामान्य वैकल्पिक-कला/अन्य/ विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित हैं तो)	वाणिज्य संकाय हेतु 8 ओपन इलेक्टिव निर्धारित किए गए है। छात्रों द्वारा वाणिज्य के केवल 8 OE लिया जाना है अथवा अन्य संकाय के OE से लेना है।
कला	तीन विषयों समूह	विषय - 1	विषय - 2	कला संकाय से विषय-3 अथवा सामान्य वैकल्पिक-वाणिज्य/ अन्य/विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित है तो)	कला संकाय से सामान्य वैकल्पिक विषयों का चयन नहीं करना है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1. पोषण एवं नैदानिक आहार (Nutrition and dietetics)
2. बिक्री कौशल (Salesmanship)
3. जैविक खेती (Organic Farming)
4. बागवानी (Horticulture)
5. व्यक्तित्व विकास (Personality Development)

4. योग्यता संवर्धन आधार पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)

स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष में आधार पाठ्यक्रम (योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम) का अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन करना होगा। आधार पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्नपत्र की वार्षिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगी। आधार पाठ्यक्रम के विषयों में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। प्रथम वर्ष में भाषा के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन और योग एवं ध्यान विषय के अध्ययन का अवसर मिलेगा।

आधार पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्नानुसार है –

वर्ष	प्रश्न पत्र	विषय	अंक	क्रेडिट
प्रथम	प्रथम	हिन्दी	50	2-2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	पर्यावरण अध्ययन (Environment Studies)	50	2-2=4
		योग एवं ध्यान (Yog & Meditation)	50	
द्वितीय	प्रथम	हिन्दी	50	2-2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	स्टार्टअप एवं उद्यमिता (Startups & Enterpreneurship)	50	2-2=4
		महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)	50	
तृतीय	प्रथम	हिन्दी	50	2-2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	डिजिटल जागरूकता (Digital Awareness)	50	2-2=4
		व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण (Personality Development and Character Building)	50	

5. व्यावहारिक ज्ञान (Field Studies)

(फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिक/एप्रेन्टिंसशिप सामुदायिक जुड़ाव)

व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को अपनी रुचि, उपयोगिता एवं क्षमता के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपने संकाय के कार्य क्षेत्र में परियोजना कार्य Field project/ शिक्षुता Internship/प्रशिक्षुता Apprenticeship/सामुदायिक जुड़ाव Community engagement में से किसी एक का चयन करना है।

6. परियोजना कार्य (Project Work)

नवीन अकादमिक संरचना में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण अंग है। परियोजना कार्य आधारित शिक्षण, विद्यार्थी के व्यक्तिगत अथवा समूह में रहकर (अनुसंधान गतिविधियों का संयोजन है, जिससे विद्यार्थी) फील्ड स्टडी के माध्यम से न सिर्फ अनुसंधान करना सीखता है अपितु समूह में एक साथ घनिष्ठ रूप में कार्य करना भी सीखता है। महाविद्यालय के बाहर के फील्ड स्टडी/केस स्टडी के अनुभव विद्यार्थियों के लिए अमूल्य है। परियोजना कार्य के माध्यम से, विद्यार्थियों में समूह-अनुसंधान गतिविधियों के अलावा स्वप्रबंधन, लोकतांत्रिक राय निर्माण, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है।

संक्षिप्त जानकारी

प्रगति प्रतिवेदन : विद्यार्थियों द्वारा तीन प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप में देना होगा, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक सतत् मूल्यांकन का कार्य करेंगे।

परियोजना रिपोर्ट : स्वहस्तलिखित न्यूनतम 5000 शब्दों में प्रस्तुत करना होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार, चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ आदि का प्रयोग करना होगा।

मौलिकता : परियोजना कार्य किसी भी रूप में नकल पर आधारित नहीं होगा। विद्यार्थियों को यह प्रमाण पत्र भी रिपोर्ट के साथ देना होगा कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट उनका मौलिक कार्य है।

अंकों का विभाजन : आंतरिक (सतत्) एवं बाह्य मूल्यांकन में अंकों का विभाजन क्रमशः 50-50 अंकों का होगा।

7. प्रशिक्षुता (Internship) एवं शिक्षुता (Apprenticeship)

प्रदेश के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावसायिक व व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए नवीन अकादमिक संरचना में शिक्षुता/प्रशिक्षुता एक प्रमुख अवयव है। प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता पाठ्यक्रम को विद्यार्थी किसी संस्था/फर्म/व्यावसायिक संगठन/व्यक्ति द्वारा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है।

संक्षिप्त जानकारी

अनुमति : प्राचार्य एवं शिक्षकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी शिक्षुता/प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए जिस संस्था/व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रतिष्ठित, स्तरीय व वैधानिक है तथा शिक्षुता/प्रशिक्षुता कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिये सक्षम है।

प्रारम्भिक रिपोर्ट : प्राथमिक चरण कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा, कार्यक्षेत्र, संस्थान की जानकारी आदि निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

अंतिम रिपोर्ट : शिक्षुता/प्रशिक्षुता कार्य की अंतिम रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिपुष्टि प्रपत्र : कार्य उपरांत शिक्षुता पाठ्यक्रम में संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form) के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा, जो कि कुल अंक का 50 प्रतिशत होगा।

विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्वहस्तलिखित, न्यूनतम 2000 शब्दों की होनी चाहिए, आवश्यकतानुसार ग्राफ, फोटोग्राफ, चार्ट आदि का समावेश किय जाना चाहिए।

8. सामुदायिक जुड़ाव/सेवा कार्य

इस क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक विद्यार्थी किसी स्थानीय प्रतिष्ठित स्वयंसेवी/मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संगठन के साथ जुड़कर किसी सकारात्मक सामाजिक जैसे प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी, अनाथ आश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जलसंरक्षण आदि के संदर्भ में सेवा कार्य कर सकेगें।

संक्षिप्त जानकारी

विद्यार्थी निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप कार्य व संस्था का नाम/विवरण प्रभारी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

कार्य व स्वरूप की रूपरेखा : प्रस्तावित कार्य व स्वरूप की रूपरेखा व लक्षित प्रतिफल का विवरण भी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

अंतिम विस्तृत रिपोर्ट व अनुशंसाएं : स्व-हस्तलिपि में फोटोग्राफ्स सहित निर्धारित प्रपत्र में जमा करेगा, सम्बंधित सहयोगी/ मार्गदर्शक संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

संभावित क्षेत्र : सकारात्मक सामाजिक सरोकार जैसे प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी, अनाथ आश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जलसंरक्षण आदि के संदर्भ में सेवा कार्य कर सकेंगे।

अति आवश्यक : संस्था किसी धार्मिक, जातिगत अथवा राजनैतिक रूप से पूर्णतः निरपेक्ष हो, किसी सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट राजनैतिक विचारधारा से अभिप्रेरित न हो, किसी वैधानिक स्तर पर चिन्हित व सत्यापित हो।

एन.जी.ओ. के पंजीकरण की जानकारी ngodarpan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 1258 ग्रामों को गोदग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य/ शिक्षुता/प्रशिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव के अंतर्गत महाविद्यालयों के विद्यार्थी स्थानीय एनजीओ के साथ जुड़कर गोद ग्राम के अंतर्गत निर्धारित की गई कार्य योजना को दृष्टिगत रखते हुए अपना प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं।

स्नातक स्तर पर मूल्यांकन पद्धति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)

अधिनियम 14 B के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन पद्धति निम्नानुसार होगी। मेजर, माइनर, इलेक्टिव वोकेशनल, प्रत्येक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 100 अंकों का होगा।

100 अंकों में 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसके तहत विभिन्न विधाओं में शामिल कर 10 अंकों के 4 टेस्ट लिये जायेंगे। इन 4 टेस्ट के सर्वोत्तम 3 के अंक परीक्षा परिणाम हेतु मान्य होंगे। शेष 70 अंकों की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जावेगी। जिसमें उत्तीर्ण न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35 होंगे। उत्तीर्ण होने के लिये कुल 100 अंकों में से 35 अंक विद्यार्थी को अर्जित करने होंगे। प्राप्तांकों के आधार पर लेटर ग्रेड एवं ग्रेड पाइंट का निर्धारित होगा। किसी विषय में फेल होने पर भी अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिये कुल 40 क्रेडिट में से 20 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। यह प्रमोशन प्रावधिक होगा तथा उक्त विषय को पास करने हेतु दो अवसर प्रदान किये जायेगें। पहला अवसर मुख्य परीक्षा उपरांत आयोजित पूरक परीक्षा में दिया जायेगा। इस परीक्षा में यदि सभी विषयों में छात्रा उत्तीर्ण हो जाती है तो वह अगली कक्षा के प्रवेश को जारी रख सकती हे। किन्तु यदि इस परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर छात्रा पुनः उसी कक्षा की मुख्य परीक्षा के साथ पूरक परीक्षा में बैठेगी। पास होने पर अगले सत्र में अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेगी, किन्तु पास न होने पर चालू सत्र ''जीरो इयर'' माना जायेगा व अगले सत्र में पुनः उसी कक्षा की (Ex के रूप में) परीक्षा देगी।

Letter Grad	Grade Points	Description	Range of Marks (%)
O	10	Outstanding	90-100
A+	9	Excellent	80-89
A	8	Very good	70-79
B	7	Good	60-69
B+	6	Above Average	50-59
C	5	Average	40-49
P	4	Pass	35-39
F	0	Fail	0-34
AB	0	Absent	Absent

एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज (एजीपीए) की गणना

Course	Credits (C)	Grade	Grade Point (GP)	Grade Point (C x GP)	APGA (Total Credit Point/ Total Credit)
Course 1	6	A	8	48	
Course 2	6	C	5	30	
Course 3	6	B+	7	42	276/40=6.90
Course 4	6	O	10	60	
Course 5	4	B	6	24	Annual Grade Point
Course 6	4	P	4	16	Average (वार्षिक ग्रेड प्वाइंट
Course 7	4	A+	9	36	औसत - एजीपीए), एक वर्ष में
Course 8	4	C	5	20	छात्र के प्रदर्शन की गणना है।
TOTAL	40		-	276	

क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) की गणना

Year	Credits	AGPA	Credits x AGPA	AGPA
1	40	7.50	300.00	$CGPA=\frac{\text{Total (Credits x AGPA}}{\text{Total Credits}}$
2	40	7.58	303.20	
3	40	7.32	292.80	CGPA = 1229.60/160 = 7.685 = 7.69(roundoff)
4	40	8.34	333.60	समस्त वर्ष में छात्र के द्वारा पूर्ण किए गए समस्त पाठयक्रमों के क्रेडिट का योग है।
TOTAL	160		1229.60	

वर्षवार प्रश्नपत्रों कीसंख्या एवं क्रेडिट

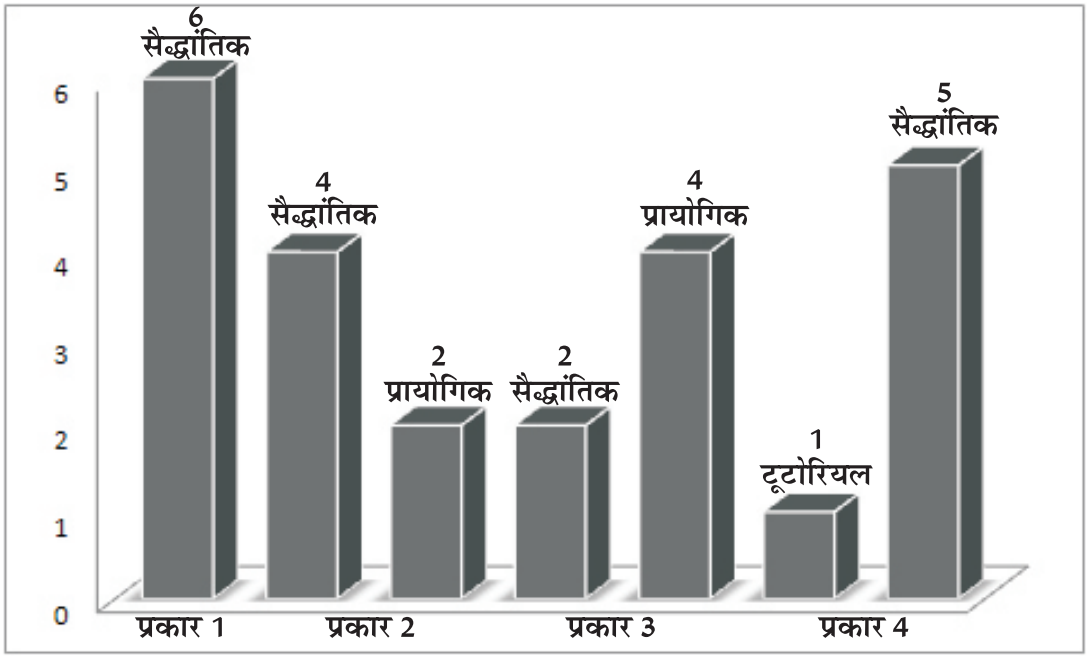

I. **स्नातक स्तर**

चार वर्ष में कुल क्रेडिट (40+40+40+40) =160

अ.	प्रथम वर्ष	:	40
ब.	द्वितीय वर्ष	:	40
स.	तृतीय वर्ष	:	40
द.	चतुर्थ वर्ष	:	40

II. **प्रथम वर्ष**

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6X2=12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6X1=06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6X1=06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4X1=04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4X2=08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4X1=04
			कुल 40

III. **द्वितीय वर्ष**

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6X2=12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6X1=06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6X1=06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4X1=04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4X2=08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4X1=04
			कुल 40

IV. **तृतीय वर्ष**

विषय 1 :	मुख्य विषय	(DSE)	6X2=12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6X1=06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6X1=06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4X1=04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4X2=08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्रशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4X1=04
			कुल 40

V. **चतुर्थ वर्ष**

विषय 1 :	मुख्य विषय	(DSE)	6X2=12
			4X2=08
विषय 2 :	शोध प्रविधि	(RM)	4X1=04
	गौण विषय/लघु शोध प्रबंध	(MNR)	4X1=04
	रिसर्च प्रोजेक्ट/इंटर्रशिप/शिक्षुता	(FS)	6X2=12
			कुल 40

स्नातक स्तर पर रोजगार मूलक विषय

1. औद्योगिक रसायन - विज्ञान संकाय
2. औद्योगिक माइक्रो वायोलॉजी - विज्ञान संकाय
3. वायोटेक्नोलॉजी - विज्ञान संकाय
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन - विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में सेमेस्टर पद्धति लागू है। छात्रा दो वर्षों में चार सेमेस्टर की परीक्षा छात्रा को अधिकतम तीन वर्षों में नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी। महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान, गृह विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध है।

कला संकाय में 8 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है।

1. हिन्दी साहित्य 2. समाज शास्त्र 3. मनोविज्ञान 4. अर्थशास्त्र 5. राजनीति शास्त्र
6. अँग्रेजी 7. भूगोल 8. इतिहास

उपरोक्त में से भूगोल एवं इतिहास विषय जनभागीदारी द्वारा संचालित पाठ्यक्रम हैं। शेष पाठ्यक्रम म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं।

वाणिज्य संकाय - एम.कॉम. उपाधि हेतु वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है।

विज्ञान संकाय - विज्ञान संकाय में 4 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है।

1. प्राणी शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. भौतिक शास्त्र 4. रसायन शास्त्र

प्राणी शास्त्र व भौतिक शास्त्र जनभागीदारी द्वारा संचालित पाठ्यक्रम हैं। गृह विज्ञान संकाय में 2 विषय संचालित हैं।

1. मानव विकास 2. आहार एवं पोषण

आहार एवं पोषण जनभागीदारी द्वारा संचालित पाठ्यक्रम है।

महाविद्यालय में रोजगार मूलक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.लिब., बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर एम.लिब. पाठ्यक्रम भी है।

पी.एचडी. कोर्स

महाविद्यालय में महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर के सम्बद्धता प्राप्त 14 शोध केन्द्र स्थापित हैं।

1. वनस्पति शास्त्र	2. प्राणी शास्त्र	3. रसायन शास्त्र	4. गृह विज्ञान	5. हिन्दी
6. समाज शास्त्र	7. राजनीति विज्ञान	8. इतिहास	9. मनोविज्ञान	10. अर्थशास्त्र
11. अँग्रेजी	12. भौतिक शास्त्र	13. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान		14. भूगोल

स्नातकोत्तर उपाधि के पश्चात् छात्राएँ पी.एच.डी. कोर्स की प्रवेश परीक्षा दे सकती हैं। इसमें उत्तीर्ण एवं अर्हता प्राप्त करने पर छात्राएँ उपरोक्त शोध केन्द्र से पी.एच.डी. कोर्स में प्रवेश ले सकती हैं।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्तियों की जानकारी एवं नियमावली

छात्रा कल्याण योजनायें

मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु पात्रता

इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों एवं मध्यप्रदेश के निवासी होने के साथ-साथ उनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6 लाख से कम हो, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नाकित स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थियों योजना के अंतर्गत शिक्षक शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है का ही भुगतान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना हेतु पात्रता

इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नाकित स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अंतर्गत स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रमों हेतु व्यय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जायेगा।

गाँव की बेटी

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
● छात्र गाँव की निवासी हो ● गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। ● शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	● निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportel.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं। ● स्वीकृति सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। ● स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। ● यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्र इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती हैं।

प्रतिभा किरण

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
● छात्र शहर की निवासी हो ● गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली हो। ● शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। ● शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	● निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.in.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं। ● स्वीकृति सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। ● स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। ● यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्र इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

एकीकृत

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
● सम्बन्धित कक्षा में किसी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हो। ● माता-पिता/अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय राशि रुपए 54000/- से अधिक न हो। **अन्य अर्हता** ● स्नातकोत्तर : स्नातक में 55 प्रतिशत अंक। ● खेलकूंद : मध्यप्रदेश की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल के सदस्य हों अथवा प्रदेश की व्यस्क टीक के सदस्य हों अथवा प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों। ● स्नातक (योग्यता) माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक। ● स्नातक (योग्यता सह साधन : माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक।	● उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। ● प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। ● आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। ● छात्रवृत्ति 10 माह के लिए प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक/स्टेशनरी

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के स्नातक एवं स्नाताकोत्तर कक्षाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी	• उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से पुस्तकें प्रदाय की जाती हैं। • स्टेशनरी का प्रदाय महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
• आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। • अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रुपये 6.00 लाख तक की है। शासकीय संस्थाओं के लिये कोई आय सीमा नहीं है।	• पोर्टल http://scholarshipportel,mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। • स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
• आवेदक पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। • पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो। • माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रुपये 3,00,000/- से अधिक न हो।	• पोर्टल http://scholarshipportel.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। • स्वीकृति उपरांत नोडल विभागों द्वारा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

आवास भत्ता सहायता योजना

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
• आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। • शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो। • किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो। • विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रुपये 6.00 लाख प्रतिवर्ष हैं। • एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालया या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।	• पोर्टल http://scholarshipportal. mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। • स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है। • शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। अशासकीय संस्था हेतु शासकीय संस्था के प्राचार्य सम्बद्ध अशासकीय संस्थाओं के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। • निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना होगा। • अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र हो जायेंगे।

अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
● आवेदक म.प्र. का अल्पसंख्यक वर्ग में मूल निवासी हो। ● आवेदक के माता-पिता एवं अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो। ● अंतिम अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक न हों।	● आवेदक को भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(अ) निःशक्तजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
(अ) विद्यार्थी म.प्र. का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। (ब) हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के उपरांत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो। (स) 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाला विद्यार्थी हो एवं इस हेतु चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।	● स्नातकोत्तर के निःशक्त विद्यार्थियों को नोडल विभाग के संयुक्त संचालक/उपसंचालक को आवेदन करना होगा। ● स्नातक, स्नातकोत्तर के निःशक्त विद्यार्थियों को नोडल विभाग के संयुक्त संचालक/उप संचालक को आवेदन करना होगा।

अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
● आवेदक म.प्र. का अल्पसंख्यक वर्ग में मूल निवासी हो। ● आवेदक के माता-पिता एवं अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो। ● अंतिम अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक न हों।	आवेदक को भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति विभाग का नाम योग्यता आय फार्म प्राप्ति की अन्तिम तिथि भेजने का माध्यम/तरीका रिमार्क बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना (छात्रवृत्ति) भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्यालय कल्याण एवं उपकर आयुक्त श्रम कल्याण संगठन मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र 797 शांति कुंज साउथ सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र.) पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रवेश तिथि से एक माह तक की अवधि में प्राचार्य से अग्रेषित करवाकर भेजें। छात्रा को स्वयं अपने डाक खर्च पर आवेदन फार्म प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी जबलपुर को भेजना है। फार्म पर प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है।

1. आवेदन फार्म पर बीड़ी श्रमिक बीड़ी सट्टेदार के पूर्ण हस्ताक्षर सील पर होना चाहिये।
2. उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की सत्यापित कॉपी लगायें।
3. आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. प्रवेश रसीद की कॉपी लगायें।
5. यदि पिता शासकीय सेवक हों तो विभाग का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. बीड़ी का कार्ड की कॉपी संलग्न होना चाहिए।
7. कम से कम 6 माह की अवधि बीड़ी बनाते हेतु पूर्ण होना चाहिए।
8. बीड़ी कार्ड में छात्रा का नाम होना आवश्यक है।

नोट - शासकीय आदेशानुसार अन्य कोई भी छात्रवृत्ति मिलने की स्थिति में बीड़ी छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

जनभागीदारी समिति :-

मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने 30 सितम्बर 1996 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनभागीदारी समिति के गठन का निर्णन लिया गया। यह समिति म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत पंजीकृत की जायेगी। इस समिति को अधिकारी होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास हेतु स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक आधार पर संसाधन एकत्रित करे विभिन्न गतिविधियों पर शुल्क नियत करे या शुल्क में वृद्धि करे और कन्सल रूपी आदि से संग्रह करें इन संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न विकास गतिविधियों में करेगी परंतु सोशल गेदरिंग, निर्वाचन स्वागत जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा समिति जन सहयोग के आधार पर महाविद्यालय में स्वस्थ पर्यावरण बनाने में सहायक होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के अन्नयन विकास तथा शैक्षणिक व वातावरण निर्माण में निर्णायक भूमिका का निवर्हन करेगी।

पुस्तकालय

पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान की आत्मा मानी जाती है, सूचनाओं का सम्प्रेषण तथा ज्ञान प्रवाह का बुनियादी स्त्रोत पुस्तकालय माना जाता है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान की पहचान उस संस्थान के पुस्तकालय में उपलब्ध आधारभूत संसाधनों तथा सुविधाओं से सुनिश्चित होती है। संस्थान में उत्कृष्टता तथा मापदण्ड निर्धारण में पुस्तकालय की निर्णायक भूमिका होती है चाहे वह शिक्षण के संदर्भ में की जाये, चाहे शोध तथा अन्वेषण के परिप्रेक्ष्य में की जाये। पुस्तकालय की प्रासंगिकता को कदापि नहीं नकारा जा सकता है। उच्च शिक्षा में बौद्धिक विकास हेतु निर्धारित विधाओं, प्रश्नमंच, समूह चर्चा, साक्षात्कार, सभा-संगोष्ठी, कार्यशाला, उन्मुखीकरण आदि की तैयारी के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास हेतु पाठ्य सामग्री की उपलब्धता पुस्तकालय से संभव होती है। समसामयिक घटनाओं तथा तात्कालिक समाचारों की जानकारी हेतु समचार पत्र-पत्रिकायें रिसर्च पुस्तकालय उपलब्ध कराता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु तथा विषयगत ज्ञान, वस्तुपरक ज्ञान तथा तार्किक ज्ञान हेतु ई-लाइब्रेरी की सुविधा लाभकारी होती है।

महाविद्यालय के पुस्तकालय संसाधनों से परिपूर्ण हैं। स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा गृह विज्ञान संकाय पेशेवर पाठ्यक्रमों में बी.बी.ए., बी.सी.ए. तथा बी. लिब., एम.लिब. व स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, अँग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, गृह विज्ञान संकाय तथा वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लगभग 8000 पुस्तकें जिसमें शासकीय मद से 633941 यू.जी.सी. मद से 28976 तथा बुक बैंक योजना के अंतर्गत 18390 पुस्तकें क्रय की गई हैं। पुस्तकालय में हिन्दी, अँग्रेजी 15 समाचार पत्र तथा 12 पत्रिकायें नियमित रूप से छात्राओं के अध्ययन हेतु उपलब्ध रहती हैं। ई. बुक की सूची में 90,000 विभिन्न विषयों की पुस्तकें तथा 6000 रिसर्च जनरल में पुस्तकालय सम्बद्ध हैं। पुस्तकालय विज्ञान विभाग में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बी.लिब. तथा 2018-19 से एम.लिब कक्षाएँ स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। इन पाठ्यक्रमों का शिक्षण अतिथि विद्वानों तथा विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पुस्तकालय में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कुल 2196 अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को पुस्तकें व स्टेशनरी की सुविधायें उपलब्ध करायीं गई हैं। वाचनालय में पर्याप्त तथा समुचित सुविधायें प्रदाय की गयी हैं साथ ही ई-लाइब्रेरी की सुविधा इंटरनेट सुविधा के साथ उपलब्ध करायी जा रही है। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में दी गई है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

(i) पुस्तकालय का समय प्रतिदिन (कार्यशील दिवस)

(ii) उपलब्ध अध्ययन सामग्री- 81307 हजार से अधिक पाठ्य पुस्तकें, 8 समाचार पत्र, 25 जर्नल्स, 16 पत्रिकायें साप्ताहिक समाचार पत्र, रोजगार निर्माण पत्र भोपाल, रोजगार समाचार नईदिल्ली, सन्दर्भ ग्रन्थ

(iii) आरक्षित संवर्ग के विद्यार्थियों के लिये पृथक से बुक बैंक की सुविधा है।

(iv) पिछले पाँच वर्षों के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं।

(v) छात्राओं को प्रदायिक पुस्तकें 14 दिनों के लिए दी जाती हैं। स्नातक स्तर पर छात्रा को एक बार में अधिकतम 2 पुस्तकें और स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को एक बर में अधिकतम तीन पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

(vi) प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। छात्रायें पुस्तकालय में इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकती हैं।

(vii) पुस्तकालय की समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत एवं इन्टरनेट संचालन।

(viii) शोध छात्राओं हेतु संदर्भ कक्ष उपलब्ध हैं।

(ix) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए विभागीय पुस्तकालय है।

(x) आरक्षित संवर्ग की छात्राओं के लिए पृथक से बुक बैंक की सुविधा।

(xi) पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उपलब्ध।

(xii) पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी नियमावली का सूचना बोर्ड पुस्तक में लगा दिया गया है।

शैक्षणिक एवं प्रयोगशालायें

- महाविद्यालय के पास दो भवन है, एक पुराना जो बस स्टेण्ड के पास है उसमें कला संकाय एवं विज्ञान संकाय का अध्यापन कार्य होता है, एक नवीन भवन जो राजघाट रोड पर स्थित है वहाँ वाणिज्य संकाय, बी.बी.ए. का अध्यापन कार्य होता है।
- समस्त कक्ष अध्यापन सुविधायुक्त
- कक्षों में विद्यार्थी संख्या के अनुरूप फर्नीचर उपलब्ध
- आधुनिक दृश्य-श्रव्य प्रणाली से सुसज्जित व्याख्या कक्षा जिसमें ओवर हेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर आदि सुविधायें उपलब्ध हैं।
- कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इंटरनेट, सुविधायुक्त, आधुनिक कम्प्यूटर्स
- अध्यापन किये जाने वाले विषयों की उपकरणों से युक्त ससज्जित प्रयोगशलाएँ
- कक्षों में पर्याप्त संख्या में ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन

क्रीड़ा सुविधायें/क्रीड़ा विधायें

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूंद विधाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक केलैण्डर की भाँति खेलकूंद कैलेण्डर भी प्रतिवर्ष जारी किया जाता है साथ छात्राओं में खेलकूंद के प्रति रूचि एवं उत्साह जागृह हो। इस उद्देश्य से शासन द्वारा इनडोर तथा आउट डोर खेलों को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालयीन शारीरिक कल्याण विभाग तथा महाविद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं तथा संसाधनों का विस्तार किया गया है। म.प्र. खेलकूंद एवं युवा कल्याण विभाग इस दिशा में कृतसंकल्पित है कि प्रदेश का युवा वर्ग, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल विधाओं में भागीदारी सुनिश्चित कर प्रदेश व राष्ट्र को गौरवान्वित करे।

शासन की नीति है कि खेल सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्रायें खेलकूंद विधाओं में शिरकत कर सकें इस दृष्टि से खेल मैदानों का विकास निर्मित मैदानों को पूरा करने तथा खेल मैदानों के निर्माण आदि हेतु वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं साहसिक गतिविधियों के संचालन में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्गमित खेलकूंद कैलेण्डर के अनुरूप हॉकी, फुटबाल, बैडमिंटन, टेबिल-टेनिस, बॉलीवाल, खो-खो, कबड्डी, कुश्ती, वास्केटबाल, जूड़ो एवं शतरंज तथा एथलेटिक्स प्रतियोगिताएँ अंर्तकक्षा, अंर्तमहाविद्यालयीन, अंर्तजिला, अंर्तसंभाग तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं -

खेलकूंद सम्बन्धी प्रावधान

(1) महाविद्यालय में प्रवेशार्थी विद्यार्थी से शारीरिक कल्याण शुल्क 18 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर 10 माह हेतु 180 रुपये नियत है। इस शुल्क में से 110 रुपये महाविद्यालीन क्रीड़ा विधाओं हेतु तथा 70/- प्रति छात्रा विश्वविद्यालय प्रेषित किया जाता है।

(2) प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी को दिए जाने वाले दैनिक भत्ते को दर 50 रुपए में प्रति दिवस दी जावेगी।

(3) सभी स्तर पर प्रतियोगिता में सहभागी खिलाड़ी को उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त गणवेश तथा खेल सामग्री प्रदान की जाती है।

(4) मानवीय सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवास व्यवस्था तथा प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था आयोजक महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगा।

1. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं अन्य खेल मैदान उपलब्ध रहते हैं। आत्मरक्षा शिविर, योगा केम्प का आयोजन किया जाता है।
2. स्पोर्टस रूम
3. बालीबाल कोर्ट, टेबिल टेनिस
4. इन्डोर और आऊट डोर गेम्स की सुविधायें

इनडोर जिम -

महाविद्यालय में वातानुकूलित इनडोर जिम आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है जो छात्राओं के लिये निःशुल्क है।

महाविद्यालय में अन्य सुविधायें

1. ओपन मंच, 2. ऑडीटोरियम, 3. 28 कमरे 2 स्मार्ट क्लास + 4 स्मार्ट क्लास का लेब, 2 भवन, 2 ओपन मंच, 42 कमरे, 12 स्मार्ट क्लास, 02 जिम इन्डोर/आउटडोर, 01 बास्केटबाल, व्हालीबॉल कोर्ट

1. छात्रावास

छात्रावास महाविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। उत्कृष्टता महाविद्यालय में कन्या छात्रवास की सुविधा है जो शिक्षार्थी छात्राओं के बहुआयमी व्यक्तित्व विकास के लिए कृत संकल्पित व प्रयासरत हैं। छात्रावास में 150 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। सभी कमरे स्वच्छ, प्रकाशयुक्त एवं हवादार हैं। छात्रावास में एक मनोरंजन कक्ष तथा एक भोजन कक्ष तथा रिडिग रूम भी है। छात्राओं के लिए अध्ययन स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास का उत्तम वातावरण है।

1. छात्रावास में 50 कमरे है।
2. प्रत्येक कक्ष में दो अथवा तीन छात्राओं के रहने की व्यवस्था है।
3. प्रत्येक छात्रा के लिए एक अलमारी, एक पलंग एक टेबल तथा एक कुर्सी, पंखा तथा प्रकाश की व्यवस्था छात्रावास की ओर से है।
4. छात्राओं के लिये ओपन सिस्टम एवं स्टेज।
5. आडोटोरियम, जिम
6. योगा/जूडो कक्ष
7. कूल एवं सेफ वाटर

छात्रावास में छात्राओं की सुविधा हेतु सभी आवश्यक वस्तुएँ जैसे फ्रिज, एक्वागार्ड, गैस गीजर है। समाचार पत्र एवं पत्रिकायें भी उपलब्ध हैं।

छात्रावास में प्रवेश के लिये नियमित प्रवेश ले चुकीं छात्राएँ पात्र हैं। गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। नियमित प्रवेश लेने वाली छात्राएँ छात्रावास का प्रवेश पत्र अलग से छात्रावास कार्यालय से प्राप्त करें। इसके लिये तिथि समय पर घोषित की जावेगी। छात्रावास में प्रवेश हेतु शासकीय आरक्षण नीति का पालन किया जाता है। छात्रावास में छात्राओं के व्यक्तित्व विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य हेतु समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिसमें छात्रावास की सभी छात्रायें सहभागिता करती हैं।

2. केन्टीन व्यवस्था (प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार)

महाविद्यालय में छात्राओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खान-पान, स्टेशनरी व अन्य दैनिक उपभोग की आवश्यकताओं की व्यवस्था हेतु उपभोक्ता भण्डार सहकारिता के आधार पर संचालित है। उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। इस उपभोक्ता भण्डार में वर्तमान में महाविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्राओं को मिलाकर संचालित किया जा रहा है

वर्तमान सत्र में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को सदस्यता लेना होगी। जिन छात्राओं ने पहले से सदस्यता ले रखी है, उन्हें पुनः सदस्यता नहीं लेना होगी।

3. छात्राओं को ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस सुविधा

राज्य शासन ने परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक 22/97/05 आज दिनांक 30.05.2006 द्वारा समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अपनी तहसील के अन्दर छात्राओं को दो पहिया वाहन (मोपेड/स्कूटर/मोटरसाईकिल) तथा चार पहिया (कार/जीप) निजी मोटरयानों के संचालन के लिये शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (लर्निंग लाइसेंस) जारी करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये हैं। महाविद्यालय की छात्राएँ भी निधारित फार्म में आवेदन के साथ मेडीकल सर्टिफिकेट (पत्र एक-क में), आयु के सम्बन्ध में प्रमाण, आवेदन के 4 पासपोर्ट साइज फोटो, नियम 32 के अनुसार निर्धारित शुल्क एवं पते के सम्बन्ध में प्रमाण के साथ प्राचार्य को आवेदन कर सकते हैं।

4. शुद्ध पेयजल हेतु एक्वागार्ड युक्त 8 वाटर फिल्टर एवं कूलर
5. स्वच्छ पुरुष एवं महिला प्रसाधन
6. छात्राओं हेतु कॉमन रूम

शैक्षणोत्तर गतिविधियाँ

1.	एन. सी. सी.	छात्र इकाई संख्या 1	-	166
2.	एन. एस. एस.	छात्र इकाई संख्या 3	-	300

एन. सी. सी.

महाविद्यालय में एन. सी. सी. गर्ल्स बटालियन के अंतर्गत 166 कैडेट्स लेफ्टिनेंट एन. सी. सी. अधिकारी के मार्गदर्शन में एन. सी. सी. गतिविधियों में संलग्न हैं। इन सभी कैडेट्स महाविद्यालय द्वारा नैत्यिक परेड में भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ एन. सी. सी. परेड की विभिन्न वार्षिक गतिविधियों जैसे - सी. ए. टी. सी. कैम्प, टी. एम. सी. कैम्प, आर. डी. सी. कैम्प, एन. टी. सी. कैम्प, ई. वीर कैम्प, पेराजम्पिंग कैम्प, पर्वतारोहण कैम्प, राज्यस्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न कैम्पों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता अभियान, पल्स पोलियो अभियान, मतदाता जागरूकता, ट्रेफिक कन्ट्रोल, रक्तदान, तिरंगा यात्रा, वृद्धा आश्रम, बाल आश्रम तथा निःशक्तजनों की सहायता आदि सामाजिक सरोकार की गतिविधियों में निरंतर सहभागिता सुनिश्चित कर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य उत्साहपूर्वक ढंग से किया है। महाविद्यालय की एन. सी. सी. कैडेट्स ने एन. सी. सी. परीक्षा 'बी' तथा 'सी' प्रमाणपत्र में उत्कृष्ट निष्पादन कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है साथ ही शैक्षणिक निष्पादन भी रेखाकिंत करने योग्य रहा है। महाविद्यालय में अध्ययन एन. सी. सी. कैडेटस ने पुलिस तथा सेना जैसी सेवाओं में अपनी महती उपस्थिति देकर की है।

राष्ट्रीय सेवा योजना -

स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सेवा के प्रति जागरूकता हेतु प्रयास होते रहे है। 1950 के प्रथम शिक्षा आयोग की संस्कृति के पश्चात् तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर डॉ. सी.डी. देशमुख की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसका उद्देश्य छात्रों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश से पूर्व राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य रूप से करना थी। प्रो. के.जी. सैउद्दीन जो विभिन्न देशों में युवाओं की राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन कर चुके थे उनका कहना था कि राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवकों के आधार पर प्रारंभ की जानी चाहिए। इसी प्रकार का सुझाव शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. कोठारी ने दिया। अप्रैल 1967 में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में कहा गया छात्रों को एन.सी.सी. में (जो प्रारंभ से थी) अथवा एक नवीन कार्यक्रम जो राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से बनाया गया था, में भाग ले सकते है। इस प्रकार 1969 में रासेयो की शुरूआत 40,000 विद्यार्थियों से हुई। यह संख्या प्रतिवर्ष बढ़ते हुये वर्तमान में लाखों में है।

रासेयो भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। रासेयो योजना का विस्तार प्रायः सभी राज्यो और वि.वि. में हो गया है। साथ ही सरकार, शासन आय जनता और स्वयं सेवक रासेयो की आवश्यकता और उपादेयता को समझने लगे है हमारे कन्या महाविद्यालय में रासेयो गतिविधियों का प्रारंभ 1976-77 से हुआ। महाविद्यालय की प्रथम कार्यक्रम अधिकारी थी डॉ. निर्मला पांडे, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान और उनकी सहायक बनी श्रीमती माधुरी डेविड जो ग्रंथालय में पदस्थ थी।

महाविद्यालय का प्रथम दस द्विवसीय शिविर ग्राम नरयावली में लगा। तब से रासेयो लगातार समाज सेवा के द्वारा छात्राओं के व्यक्तित्व विकास हेतु कार्य कर रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय में रासेयो की तीन इकाईयां डॉ. भावना रमैया, डॉ. सरिता जैन, डॉ. अपेणा चाचोदिया के नेतृत्व में सक्रिय है। इन इकाईयों में 300 से अधिक छात्राओं का पंजीयन है।

रासेयो का लक्ष्य है ''समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास'' तथा सिद्धान्त वाक्य है ''मुझको नही तुझको''। वास्तव के रासेयो शासन का ऐसा प्रयास है जिसमें विद्यार्थियो को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का व उसे निखारने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। रासेयो का प्रतीक चिन्ह उडीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के चक्र पर आधारित है जो काल और स्थान से परे जीवन में गति का महत्व बताता है। यह निरंतरता के साथ ही परिवर्तन का भी प्रतीक है। रासेयो का प्रतीक चिन्ह उसके बैज पर उत्कीर्ण है। जिसे स्वयं सेवक समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते समय लगाते है।

रासेयो के उद्देश्य है -

(1) समाज के लोगों के साथ मिलकर कार्य करना

(2) स्वयं को रचनात्मक कार्यो में प्रवृत करना।

(3) समुदाय के कमजोर वर्ग की सेवा के लिए स्वयं में इच्छाएं जाग्रत करना

(4) शिक्षित एवं अशिक्षितों के बीच की दूरी को मिटाना

(5) समाज में जागरूकता हेतु कार्य करते हुये व्यक्तित्व विकास करना।

गतिविधियाँ -

(1) रासेयो 7 दिवस का गोद ग्राम में विशेष शिविर

(2) नियमित गतिविधियाँ - जिसमें शिक्षा, मनोरंजन, राहत बचाव कार्य, पर्यावरण संवर्धन, स्वास्थ्य संवर्धन, समाज सेवा, रक्त दान तथा प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिये कार्य तथा अन्य कार्यो को किया जाता है।

सांस्कृतिक आयोजन

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के व्यक्तित्व विकास एवं सांस्कृतिक प्रतिभा को मंच देने हेतु युवा उत्सव के द्वारा महाविद्यालय स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर शासन द्वारा 22 सांस्कृतिक विधाओं में छात्रायें सहभागिता कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक खेल विधाओं में सहभागिता तथा स्थान प्राप्त छात्राओं को प्रोत्साहन देने हेतु वार्षिक उत्सव में गोल्ड मेडल तथा पुरस्कार वितरण व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन महाविद्यालय में प्रतिवर्ष किया जाता है।

विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ एवं व्यक्तित्व विकास

प्रकोष्ठ के माध्यम से महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा बजटीय आवंटन उपलब्ध किये जाने पर दो 21-21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ-साथ अल्प अवधि एक दिवसीय कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञों द्वारा कैरियर हेतु दिशा निर्देश तथा प्रशिक्षण दिये जाते हैं। साथ ही रोजगार के अवसरों की जानकारी के लिये रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है। कैम्पस चयन के अवसर भी छात्राओं को उपलब्ध कराये जाते हें। प्रकोष्ठ द्वारा लाइब्रेरी भी संचालित की जाती है जिसमें प्रतियोगी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें उपलब्ध हैं।

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर

कार्यरत प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	विषय
1.	डॉ. नरेन्द्रसिंह ठाकुर	प्राध्यापक	हिन्दी
2.	डॉ. सरिता जैन	सह प्राध्यापक	हिन्दी
3.	डॉ. राजकुमार अहिरवार	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी
4.	श्री अभय जैन	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी
5.	डॉ. निशा इन्द गुरू	सह प्राध्यापक	अंग्रेजी
6.	डॉ. श्रीमती क्रान्तिदेवी	सहा. प्राध्यापक	अंग्रेजी
7.	डॉ. सुनीता त्रिपाठी	प्राध्यापक	राजनीति
8.	डॉ. रजनी दुबे	प्राध्यापक	राजनीति
9.	डॉ. अंशु सोनी	सहा. प्राध्यापक	राजनीति
10.	डॉ. शक्ति जैन	प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
11.	डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव	प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
12.	डॉ. अंजना चतुर्वेदी	प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
13.	डॉ. रश्मि दुबे	प्राध्यापक	समाजशास्त्र
14.	डॉ. संजय खरे	सह प्राध्यापक	समाजशास्त्र
15.	डॉ. नवीन गिडियन	प्राध्यापक	इतिहास
16.	डॉ. संतोष गुप्ता	प्राध्यापक	मनोविज्ञान
17.	श्रीमती तरूणा नाथ	सहा. प्राध्यापक	मनोविज्ञान
18.	श्रीमती अश्विनी सूर्यवंशी	सहा. प्राध्यापक	मनोविज्ञान
19.	डॉ. आनंद तिवारी	प्राध्यापक	वाणिज्य
20.	डॉ. एस.एल. साहू	प्राध्यापक	वाणिज्य
21.	डॉ. एम.एम. चौकसे	प्राध्यापक	वाणिज्य
22.	डॉ. डी.के. गुप्ता	प्राध्यापक	वाणिज्य
23.	डॉ. रेनूबाला शर्मा	प्राध्यापक	गृहविज्ञान
24.	डॉ. पद्मा आचार्य	प्राध्यापक	गृहविज्ञान
25.	डॉ. अंजना नेमा	सह प्राध्यापक	गृहविज्ञान
26.	डॉ. रश्मि मलैया	सह प्राध्यापक	गृहविज्ञान
27.	डॉ. ए.एच. अंसारी	प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
28.	डॉ. मालती दुबे	सह प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
29.	डॉ. अनुभा शर्मा	सह प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
30.	डॉ. संतोष नारायण चढ़ार	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
31.	श्री देशराज सिंह ठाकुर	सहा. प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
32.	श्री नंदकिशोर लोधी	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र

33.	डॉ. सुनीता सिंह	प्राध्यापक	प्राणीशास्त्र
34.	डॉ. प्रतिमा खरे	प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र
35.	डॉ. महेन्द्र मिश्रा	सहा. प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र
36.	डॉ. अरविंद बोहरे	प्राध्यापक	गणित
37.	डॉ. दीपा खटीक	सहा. प्राध्यापक	भौतिक शास्त्र
38.	डॉ. रमाशंकर वर्मा	सहा. प्राध्यापक	भौतिक शास्त्र
39.	डॉ. हरिओम सोनी	सहा. प्राध्यापक	संगीत
40.	डॉ. अपर्णा चाचोंदिया	सहा. प्राध्यापक	नृत्य
41.	डॉ. गुलाब देवी	ग्रन्थपाल	
42.	डॉ. मोनिका हर्डीकर	क्रीड़ा अधिकारी	

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर
कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री सुधीर भोजक	हॉस्टल मैनेजर
2.	श्री सुनील आठिया	सहा. ग्रेड 2
3.	श्रीमती प्रीति गुप्ता	सहा. ग्रेड 3
4.	श्रीमती निधि यादव	सहा. ग्रेड 3
5.	डॉ. प्रेम कुमार चतुर्वेदी	तबला संगतकार
6.	श्री नारायण प्रसाद गौड़	प्र.शा.तक.
7.	श्री राजीव एलेक्जेंडर	प्र.शा.तक.
8.	श्री खेमचंद कश्यप	प्र.शा.तक.
9.	श्री श्रवण कुमार शर्मा	प्र.शा.तक.
10.	श्रीमती राज शाक्यवार	प्र.शा.तक.
11.	श्रीमती अर्चना जगेत	प्र.शा.तक.
12.	श्री अंशुल गुप्ता	प्र.शा.तक.
13.	श्रीमती साक्षी पाण्डेय	प्र.शा.तक.
14.	श्री गौतम जाटव	प्र.शा.परि.
15.	श्री श्रीचरण जाटव	प्र.शा.परि.
16.	श्रीमती सुलोचना सोनी	प्र.शा.परि.
17.	श्री मार्तण्ड सिंह राजपूत	प्र.शा.परि.
18.	श्री हुकुमचंद रजक	प्र.शा.परि.
19.	श्री सतीश साहू	प्र.शा.परि.
20.	श्री कुंदन यादव	प्र.शा.परि.
21.	श्री रमेश कुमार लड़िया	भृत्य
22.	श्री हेमन्त यादव	भृत्य
23.	श्री हरिराम अहिरवार	चौकीदार

अतिथि विद्वान

1.	डॉ. सीमा रायकवार	हिन्दी	1.	डॉ. शीतांशु राजौरिया	कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2.	डॉ. सुनीता आर्य	हिन्दी	2.	डॉ. श्वेता ओझा	कम्प्यूटर एप्लीकेशन
3.	डॉ. आनंद भट्ट	अँग्रेजी	3.	श्री अभिषेक समैया	कम्प्यूटर एप्लीकेशन
4.	डॉ. सिद्धार्थ सिंह	वनस्पति शास्त्र	4.	श्री दीपेश जैन	कम्प्यूटर एप्लीकेशन
5.	डॉ. विकास चंद त्रिपाठी	वनस्पति शास्त्र	5.	डॉ. अनिमेश जैन	कम्प्यूटर एप्लीकेशन
6.	डॉ. अमिता श्रीवास्तव	वनस्पति शास्त्र	6.	कु. मनीषी शाक्य	कम्प्यूटर एप्लीकेशन
7.	डॉ. मनीष शर्मा	वनस्पति शास्त्र	7.	श्री शैलेन्द्र पटैल	बी.बी.ए.
8.	डॉ. श्रीमति सीमा दांगी	वाणिज्य	8.	श्री रोहित सैनी	बी.बी.ए.
9.	श्री उग्रदास वर्मा	वाणिज्य	9.	श्री अंकुर आनंद रानेदिया	बी.बी.ए.
10.	श्री आभाष तिवारी	इतिहास	10.	डॉ. अंजली दुबे	इतिहास
11.	डॉ. राघवेन्द्र मोहन त्रिपाठी	संस्कृत	11.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार झारिया	इतिहास
12.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	भौतिक शास्त्र	12.	कु. दीपिका तिवारी	औद्योगिक रसायन
13.	श्रीमती सुजाता नेमा	भौतिक शास्त्र	13.	श्री आशीष रैकवार	औद्योगिक रसायन
14.	डॉ. संजय दुबे	प्राणीशास्त्र	14.	श्री भूपेन्द्र अहिरवार	माइक्रोबायोलॉजी
15.	डॉ. मनीष जैन	प्राणी शास्त्र	15.	श्रीमती नरगिस खान	माइक्रोबायोलॉजी
16.	डॉ. दीप्ति जैन	अर्थशास्त्र	16.	डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव	भूगोल
17.	डॉ. प्रहलाद अहिरवार	राजनीति विज्ञान	17.	कु. रिचा ठाकुर	भूगोल
18.	डॉ. विपिन कुमार दुबे	गणित	18.	कु. राखी खटीक	लाइब्रेरी साइंस
19.	डॉ. प्रतिभा रिछारिया	गणित	19.	कु. प्रगति बिल्थरे	लाइब्रेरी साइंस
20.	श्री विभोर सराठे	मनोविज्ञान	20.	श्री संजय दोहरे	बायोटेक्नोलॉजी
			21.	श्री राकेश कुमार साकेत	बायोटेक्नोलॉजी
			22.	कु. शिखा कोष्टी	प्राणीशास्त्र
			23.	कु. समरा खान	प्राणीशास्त्र
			24.	श्री परमेश्वर दयाल	भौतिक शास्त्र
			25.	कु. शुभांजली रैकवार	भौतिक शास्त्र
			01.	कु. सुप्रिया यादव	उद्यमिता
			02.	कु. अमिता विश्वकर्मा	पर्यावरण
			03.	कु. दीपिका सूर्यवंशी	अंग्रेजी
			04.	श्रीमती सपना राजोरिया	पर्यावरण
			05.	डॉ. पूनम कोहली	रसायन शास्त्र
			06.	श्रीमती निक्की बांगर	रसायन शास्त्र
			07.	डॉ. आशुतोष शर्मा	अंग्रेजी
			08.	डॉ. रानू चौबे	समाजशास्त्र